SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारतीय रेलः यात्री आरक्षण प्रणाली का सामाजिक–सह–विधिक अध्ययन

प्रवीण कुमार शुक्ला, शोधार्थी, विधि विभाग
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझुनू, राजस्थान, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
प्रवीण कुमार शुक्ला

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 31/03/2023
Revised on : -----
Accepted on : 08/04/2023
Plagiarism : 02% on 31/03/2023

शोध सार

भारतीय रेल भारत में लगभग सभी वर्गों के लोगों के जीवन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। भारतीय रेल भारत में सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान करता है। रेलवे, यात्रा हेतु आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट की व्यवस्था करती है। यात्री, रेलवे आरक्षण कार्यालय से या रेलवे द्वारा प्राधिकृत एजेण्ट द्वारा आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते है। आरक्षित टिकट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के लिए ट्रेन में रिक्त सीट के अनुसार जारी किया जाता है। रेल की कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली में ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर स्थान आरक्षित किया जाता है। जब हम ट्रेन का आरक्षित रेल यात्रा टिकट खरीदते है, तो टिकट में कन्फर्म, प्रतीक्षा/वेटिंग, और आरएसी लिखा पाते है। 'वैकल्पिक ट्रेन आवास योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के टिकट को, अन्य ट्रेनों में आरक्षित श्रेणी की सीटों के खाली होने पर यात्री को विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित टिकट हेतु 'इण्डियन रेलवे अनरिजर्व टिकटिंग ऐप' (यूटीएस) के माध्यम से अनारक्षित टिकट भी ऑनलाइन बुक करने की सुविधा उपलब्ध की है। रेल कर्मचारी, प्राधिकृत व्यक्ति या एजेन्ट द्वारा ही रेल टिकट बेची जानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति आरक्षित यात्री के नाम का टिकट, किसी अन्य यात्री को बेचने या हस्तान्तरित करने की कोशिश करता है, तो वह रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करता है। भारतीय रेल अपने कर्मचारियों को विशेषाधिकार पास, रियायती टिकट आदेश और मानार्थ पास जारी करता है। विशेषाधिकार पास, रियायती टिकट आदेश और मानार्थ पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए ''रेल सेवक (पास) नियम, 1986 में विषेशाधिकार पास, रियायती टिकट आदेश और मानार्थ पास के दुरुपयोग, कपटपूर्ण उपयोग ज्ञात होने पर दण्ड के प्रावधान है।

मुख्य शब्द

रेल यात्रा टिकट, पीएनआर, प्रतीक्षा सूची, रेल अधिनियम, रेल सेवक (पास) नियम, रियायती टिकट आदेश.

परिचय

भारतीय रेल भारत में लगभग सभी वर्गों के लोगों के जीवन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। भारतीय रेल भारत में सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान करता है। यह यातायात के आधुनिक साधनों में से एक है। रेल यात्रा हेतु अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट की व्यवस्था करती है। रेल प्रशासन आरक्षित सीट/बर्थ, कम्पार्टमेंट/कोच रेलवे आरक्षित दर सूची के अनुसार आरक्षित करती है। यात्री, रेलवे आरक्षण कार्यालय से या रेलवे द्वारा प्राधिकृत एजेण्ट द्वारा रेल टिकट आरक्षित करा सकते है। आरक्षित टिकट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के लिए ट्रेन में रिक्त सीट के अनुसार जारी किया जाता है। एक पी0एन0आर0 (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) में अधिकतम 6 यात्री आरक्षण करा सकते हैं। पी0एन0आर0 (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) से टिकट का स्टेटस (कन्फर्म, प्रतीक्षा सूची या आरएसी) पता चलता है। इसमें यात्री की उम्र, लिंग, कोच नं., सीट नं., ट्रेन संख्या, यात्रा तिथि, बोर्डिंग स्टेशन, कोटा आदि विवरण दर्ज होता है। यह विवरण सेंटर ऑफ रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CSIR) के डाटाबेस में संग्रह किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति आई0आर0सी0टी0सी0 की वेबसाइट से व्यक्तिगत आई0डी0 या पंजीकृत अभिकर्त्ता या अन्य अधिकृत यात्रा वेबसाइटों के पंजीकृत अभिकर्त्ता द्वारा या रेल टिकट काउंटरों से आरक्षित रेल यात्रा टिकट खरीदता है, तो उसे 10 अंकों का पी0एन0आर0 दिया जाता है।

भारतीय रेल, यात्री आरक्षण प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में सदैव से अग्रणी रहा है। पी0आर0एस0 व्यवस्था अपने वर्तमान प्रारूप में अधिक कुशल है, फिर भी रेलवे अपनी अनुशंगी कम्पनी इण्डियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन (आई0आर0सी0टी0सी0) के माध्यम से कोर अनुप्रयोगों और आधारभूत अवसंरचना को अत्याधुनिक और सरलीकरण करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएँ ले रहा है। रेलवे निर्बाध ई–टिकट सेवा हेतु पी0आर0एस0 को अपग्रेड करने के लिए समय–समय पर विशेषज्ञों की सलाह पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर रहा है।

कम्प्यूटरीकृत पी0आर0एस0 के आधुनिकीकरण के अनुक्रम में वर्ष 2015 में ''आरक्षण चार्ट'' तैयार करने की डिजिटल प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया गया। भारतीय रेल की कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली में ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर स्थान आरक्षित किया जाता है। जब हम ट्रेन का आरक्षित रेल यात्रा टिकट खरीदते है, तो टिकट में कन्फर्म (CNF), प्रतीक्षा सूची (WL/PQWL/RSWL/RLWL), और आरएसी (RAC) लिखा पाते है। किसी ट्रेन में, आरएसी (RAC) टिकट, सामान्य श्रेणी की आरक्षित सीटें खत्म होने के पश्चात् जारी की जाती हैं और प्रतीक्षारत् सूची टिकट, आरएसी (RAC) श्रेणी की सीटें खत्म होने के पश्चात् जारी की जाती हैं। ऐसे टिकट पहले से बुक किए गये टिकटों के रद्द होने पर उनकी स्थिति आरक्षित श्रेणी में परिवर्तित हो जाती है। गाड़ी के निर्धारित गन्तव्य स्थान से कम से कम 4 घण्टे पूर्व आरक्षण चार्ट तैयार किया जाता है। यह प्रथम आरक्षण चार्ट के रूप में जाना जाता है। प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार करने के पश्चात् उपलब्ध रिक्त स्थान (यदि कोई हो) भारतीय रेल के पीआरएस काउंटर के साथ–साथ आई0आर0सी0टी0सी0 के द्वारा बुकिंग हेतु उपलब्ध हो जाता है। शुरूआती दौर में यह सुविधा केवल गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशनों से ही उपलब्ध थी। सुधारात्मक प्रणाली के अन्तर्गत यह व्यवस्था अब अन्य मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी उपलब्ध कराया गया है, यहां तक कि अब यह व्यवस्था आई0आर0सी0टी0सी0 के माध्यम से भी आम जनमानस घर बैठे आरक्षित टिकट बुक कर सकते उपलब्ध है। प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार करने के पश्चात् उपलब्ध रिक्त स्थान को दूसरे आरक्षण चार्ट द्वारा तैयार किया जा सकता है और दूसरा आरक्षण चार्ट गाड़ी के प्रस्थान के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तैयार किया जाता है। दूसरे आरक्षण चार्ट की तैयारी के समय उपलब्ध खाली स्थान (यदि कोई है तो) अगले दूरवर्ती स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है जिससे उस स्थान पर यात्रियों को टिकट बुक करने की सुविधा उपलब्ध हो सके। इससे रेलवे आरक्षण प्रणाली में पारदर्शिता

आई है, अन्तिम आरक्षण चार्ट बनने तक यात्रियों को टिकट ऑनलाइन अथवा पीआरएस के माध्यम से बुक करने की सुविधा प्राप्त हुई है।

''वैकल्पिक ट्रेन आवास योजना'' (विकल्प) यात्रियों की सुविधा हेतु भारतीय रेल ने 01.11.2015 से आरम्भ किया। इस सुविधा के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के टिकट में, अन्य ट्रेनों में आरक्षित श्रेणी की सीटों के खाली होने पर यात्री को विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इस स्कीम के लाभ के चयन का तात्पर्य कदापि नहीं है कि यात्री को वैकल्पिक ट्रेन में कंफर्म सीट उपलब्ध हो जायेगी। कंफर्म सीट की उपलब्धता वैकल्पिक ट्रेन में सीट के खाली होने पर निर्भर होती है। वैकल्पिक ट्रेन में सीट आरक्षित होने पर रद्दीकरण शुल्क वैकल्पिक ट्रेन में सीट बर्थ के अनुसार होगा। वैकल्पिक ट्रेन में सीट का आबंटन यात्री के मूल ट्रेन के यात्रियों को एक वैकल्पिक ट्रेन में ट्रांसफर किया जा सकता है जो मूल ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट से 72 घंटे के बीच चलेगी, जिसके बाद बोर्डिंग और समाप्ति स्टेशन पास के स्टेशनों में बदल सकते हैं। वास्तविक ट्रेन और वैकल्पिक ट्रेन में किराये का अन्तर, तत्काल किराया इत्यादि वैकल्पिक ट्रेन में सीट आरक्षित होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इस योजना के तहत चयन की जाने वाली ट्रेन सूची को केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है।

भारतीय रेलवे ने अनारक्षित टिकट हेतु 'इण्डियन रेलवे अनरिजर्व टिकटिंग ऐप' (यूटीएस) के माध्यम से अनारक्षित टिकट भी ऑनलाइन बुक करने की सुविधा उपलब्ध की है। इस ऐप के माध्यम से सिर्फ अनारक्षित टिकट ही नहीं बल्कि प्लेटफार्म टिकट भी बुक किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने के दो विकल्प उपलब्ध है– (एक) पेपर लेस टिकट; (दूसरा) प्रिंटिंग टिकट। पेपरलेस टिकट लोकेशन वेस्ट टिकट बुकिंग व्यवस्था का भाग है, जबकि प्रिंटिंग टिकट कहीं से कभी भी बुक कर सकते हैं। प्रिंटिंग टिकट में यात्री को टिकट की प्रिंटेड कॉपी अपने पास रखना अनिवार्य होता है। प्रिंटेड टिकट की फोटोकॉपी के अभाव में उसे बिना टिकट यात्री माना जाता है।

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 53 'कतिपय टिकटों के अन्तरण का प्रतिशोध' से सम्बन्धित है। इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम से जारी किये गये टिकट का उस व्यक्ति द्वारा ही उपयोग किया जायेगा। रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा सीटों या शायिकाओं के पारस्परिक अन्तरण पर यह नियम लागू नहीं होता है। प्राधिकृत रेल सेवक ऐसे यात्री के, जिसने सीट या शायिका का आरक्षण कराया है, विशेष परिस्थितियों के अधीन नाम के परिवर्तन को मान्य कर सकेगा। इससे दूसरे के नाम पर आरक्षित टिकट की खरीद–फरोख्त पर भी अंकुश लगा है।

रेलवे रिजर्वेशन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की रेल–यात्रा किराया में रियायत दिये जाने की व्यवस्था है। इसी अनुक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में रियायत दिये जाने की सुविधा थी। इस सुविधा के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्राप्त रियायत को अधित्याग किये जाने का भी विकल्प था जिसे 'गिव अप' स्कीम कहा जाता है। कोविड़ काल के दौरान रेलवे द्वारा समस्त श्रेणियों के यात्रियों (दिव्यांगजन की चार श्रेणियों, रोगियों और छात्रों की 11 श्रेणियों को छोड़कर) की रियायत सेवा को 20.03.2020 से समाप्त कर दिया गया हैं।

टिकटों के अन्तरण के लिए शास्ति

रेल अधिनियम, 1989 का अध्याय 15 'शास्तियों और अपराध' से सम्बन्धित है। रेल कर्मचारी, प्राधिकृत व्यक्ति या एजेन्ट द्वारा ही रेल टिकट बेची जानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति आरक्षित यात्री के नाम का टिकट, किसी अन्य यात्री को बेचने या हस्तान्तरित करने की कोशिश करता है तो वह रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करता है। रेल अधिनियम, 1989 की निम्नलिखित धाराओं में उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने एवं अवैध रूप से टिकट की खरीद–फरोख्त से सम्बन्धी अपराध के दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

I. धारा 137–'उचित पास या टिकट के बिना कपटपूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना' से सम्बन्धित है। यदि कोई व्यक्ति प्रशासन को धोखा देने के आशय से रेल के किसी सवारी डिब्बे में प्रवेश करता

है या उसमें बना रहता है अथवा किसी रेलगाड़ी में यात्रा करता है, या ऐसे किसी एकतरफा पास या एकतरफा टिकट को जो पूर्वतन यात्रा में पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है या वापसी टिकट की दशा में उसके आधे को, जो पहले ही ऐसे उपयोग में लाया जा चुका है, उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रू.1000 तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

II. धारा 138 बिना उचित पास या टिकट के यात्रा करने के लिए या प्राधिकृत दूरी से आगे यात्रा करने के लिए अधिक प्रभार और किराये का उद्ग्रहण से सम्बन्धित है। यदि कोई यात्री रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान या उससे उतरने पर अपना पास या टिकट धारा 54 के अधीन किसी रेल सेवक द्वारा मांग किये जाने पर तुरन्त पेश नहीं करता, मना करता है तो वह उस दूरी के लिए जिस तक वह यात्रा कर चुका है, एक तरफ के साधारण किराये के, या जहां उस स्टेशन के बारे में जहां से वह चला था कोई संदेह है वहां उस स्टेशन से, जहां से रेलगाड़ी आरम्भ होकर चली थी, एक तरफ के साधारण किराये के या यदि रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की, रेलगाड़ी के आरम्भ होकर चलने के पश्चात् परीक्षा की जा चुकी है तो उस स्थान से जहां टिकटों की इस प्रकार परीक्षा की गया थी या उस दशा में जिसमें उनकी एक से अधिक बार परीक्षा की गयी है, उस स्थान से जहां उनकी अंतिम बार परीक्षा की गयी थी, एक तरफ के साधारण किराये के अतिरिक्त संदेय रकम के बराबर राशि या रू. 250, दोनों में से जो भी अधिक हो, देने के लिए दायी होगा।

कोई यात्री, जिस श्रेणी का पास अभिप्राप्त करता है या टिकट खरीदता है, उससे उच्चतर श्रेणी के डिब्बे में यात्रा आरम्भ करता है या प्रयत्न करता है, या किसी सवारी डिब्बे में पास या टिकट द्वारा प्राधिकृत स्थान से आगे यात्रा करता है, तो उसके द्वारा दिये गये किराये और उसके द्वारा की गयी यात्रा के सम्बन्ध में संदेय किराये के बीच के अन्तर और संदेय रकम के बराबर राशि या रू. 250, दोनों में से जो भी अधिक हो, के संदाय के लिये दायी होगा।

अधिक प्रभार और किराया देने के दायित्वाधीन कोई यात्री उसकी मांग किये जाने पर उसे नहीं देता है या देने से इन्कार करता है तो रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत रेल सेवक ऐसी संदेय राशि की वसूली के लिए, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम अथवा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुर्माना हो और यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि वह राशि संदेय है तो वह उसे इस प्रकार वसूल किये जाने का आदेश देगा और दायी व्यक्ति संदाय न करने पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी किन्तु दस दिन से कम की नहीं होगी, भोगेगा। वसूल की गयी कोई राशि वसूल की जाते ही रेल प्रशासन को संदत्त की जायेगी। निर्दिष्ट किराया और अधिक प्रभार न देने वाला या देने से इंकार करने वाला व्यक्ति रेल सेवक द्वारा हटाया जा सकेगा। उच्चतर श्रेणी के सवारी डिब्बे से हटाये गये किसी व्यक्ति को उस श्रेणी के सवारी डिब्बे में जिसके लिए पास या टिकट उसके पास है, अपनी यात्रा जारी रखने से प्रवारित नही करती है। किसी स्त्री या बालक को (जिसके साथ कोई पुरुष यात्री नहीं है) उस स्टेशन पर जिससे उसने अपनी यात्रा प्रारम्भ की है, या किसी जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पर, सिविल जिले के मुख्यालय स्थित स्टेशन पर, और केवल दिन में ही हटाया जायेगा, अन्यथा नहीं।

III. धारा 142 के अनुसार रेल सेवक या अभिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति टिकट या वापसी टिकट का कोई भी आधा भाग विक्रय करेगा या प्रयत्न करेगा या कोई ऐसा टिकट, जिस पर सीट या बर्थ का आरक्षण किया जा चुका है या वापसी टिकट का कोई भी आधा भाग या सीजन टिकट किसी को देगा या देने का प्रयत्न करेगा, जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति उसे लेकर यात्रा कर सके तो वह तीन मास तक के कारावास से या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा तथा वह टिकट भी जो उसने विक्रय किया हो या प्रयत्न किया हो, अथवा दिया हो या देने का प्रयत्न किया हो, समपहृत किया जायेगा और यदि किसी

पूर्वोक्त टिकट का क्रेता या धारक उससे यात्रा करता या यात्रा करने का प्रयत्न करता है, तो इस प्रकार क्रय या प्राप्त टिकट समपहृत किया जायेगा और यह उपधारणा की जायेगी कि वह उचित टिकट के बिना यात्रा कर रहा है और उसके विरुद्ध धारा 138 के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी। प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जायेगा, ऐसा दण्ड दो सौ पचास रुपये के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

IV. धारा 143 के अनुसार रेल सेवक या अभिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति रेल में यात्रा के लिये या किसी रेलगाड़ी में यात्रा के लिए आरक्षित स्थान के लिए टिकट उपाप्त करने और प्रदाय करने का कोई कारोबार करता हो या ऐसा कोई कारोबार करने की दृष्टि से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टिकट क्रय या विक्रय करता है अथवा क्रय करने या विक्रय करने का प्रयत्न करता है, तो वह तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास से या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा और इस प्रकार उपाप्त या प्रदाय, क्रय या विक्रय अथवा क्रय या विक्रय का प्रयत्न किया टिकट समपहृत किया जायेगा। विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जायेगा, ऐसा दण्ड एक मास की अवधि के कारावास से या पाँच हजार रुपये के जुर्माने से कम का नहीं होगा। इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण, चाहे ऐसा अपराध किया गया है अथवा नहीं, वह उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।

यात्रा आरक्षण हेतु रेल सेवकों और उनके परिवार को जारी पास

भारतीय रेल अपनी कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों को पास या रियायती टिकट आदेश जारी करता है। रेल कर्मचारियों को पास या रियायती टिकट आदेश का जारी किया जाना ''रेल सेवक (पास) नियम–1986'' द्वारा प्रशासित होता है। रेल सेवक अथवा उसके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को निम्नलिखित प्रकार के पास जारी किए जा सकते हैः

I. ड्यूटी पास (DUTY PASS)

II. सुविधा पास (PASS ON PRIVILEGE ACCOUNT)

III. स्कूल पास (SCHOOL PASS)

IV. मानार्थ पास (POST RETIREMENT COMPLIMENTARY PASS)

V. विधवा पास (WIDOW PASS)

VI. आवासीय कार्ड पास (RESIDENTIAL CARD PASS)

VII. विशेष पास (SPECIAL PASSES)

रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को विशेषाधिकार पास, रियायती टिकट आदेश और मानार्थ पास जारी करता है। कर्मचारियों की नियुक्ति की तारीख को मुख्य आधार मानते हुए पासों की पात्रता, श्रेणी, उनके वेतनमान के अनुसार निर्धारित किया जाता है। रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सुविधा की दृष्टि से, ड्यूटी के उद्देश्य से, अन्य विशेष अवसरों पर रेलों से यात्रा करने के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दर पर सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत सामान्यतः सभी रेलकर्मचारियों को सुविधा पास सीधे रास्ते से ही प्रदान किये जाते हैं। किसी अन्य रेलमार्ग द्वारा यात्रा की स्थित में कुल दूरी के अन्तर का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। दो से अधिक आश्रितों को पास या पीटीओ में शामिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही ऐसे मामलों में परिचारक को छोड़कर पास या रियायती टिकट आदेश में शामिल व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन यह सीमा तब लागू होगी जब पास या पीटीओ में केवल परिवार के सदस्यों को ही शामिल किया गया हो। जब रेल सेवक स्वयं या उसके परिवार का सदस्य या आश्रित दोनों आँखो से अंधा हो तथा सुविधा पास पर अकेला यात्रा

कर रहा हो तो उसके साथ एक सहचर को उसी श्रेणी में जिसमें अन्धा व्यक्ति यात्रा कर रहा हो उसके साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। यह सुविधा सम्बन्धित रेलवे के मण्डल चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर देय होगी। पुत्र अथवा अन्य आश्रितों के लिए जो 21 साल से ऊपर के है, उन्हे शैक्षणिक सत्र के शुरू में ही स्कूल का प्रमाणपत्र वर्ष में एक बार जमा करवाना चाहिए। अध्ययन में व्यवधान की स्थित में तत्काल पास जारीकर्त्ता प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। लगातार अध्ययन के मामले में संदेह होने की स्थिति में प्रमाणपत्र की मांग की जा सकती है। जहां पर पुत्र या अन्य आश्रित 21 वर्ष का होने वाला है तथा जो छात्र नहीं है, वहाँ रेल कर्मचारी को उस अवधि का ही पास जारी किया जाये जिस अवधि में पुत्र या अन्य आश्रित 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो या रेल कर्मचारी को चार माह की पूर्ण अवधि हेतु पास बिना पुत्र को सम्मिलित करते हुए जारी किया जायेगा। पास एवं रियायती टिकट आदेश जारी करने की तिथि से 5 माह तक प्रवर्तन में रहता है।

मुद्रित पास, रियायती टिकट आदेश जारी करने की प्रणाली को 10.08.2020 को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की आईटी परियोजना के रूप में ई–पास, ई–रियायती टिकट आदेश माड्यूल के आरम्भ होने के साथ पहले से ही ई–पास, ई–रियायती टिकट आदेश में बदल दिया गया है और 24.8.2020 से यह समस्त कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध करा दिया गया है। ई–पास, ई–रियायती टिकट आदेश मॉड्यूल के शुरू होने के साथ ही विशेषाधिकार पास और रियायती टिकट आदेश अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही जारी किये जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात् रेलवे द्वारा अपने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को जारी मानार्थ पास पुरानी व्यवस्था के रूप में और ई–पास के रूप में (दोनों ही तरीके से) जारी किये जा रहे हैं।

विशेषाधिकार पास, रियायती टिकट आदेश और मानार्थ पास के दुरुपयोग, कपटपूर्ण उपयोग हेतु दण्ड

विशेषाधिकार पास, रियायती टिकट आदेश और मानार्थ पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए ''रेल सेवक (पास) नियम, 1986 में विशेषाधिकार पास, रियायती टिकट आदेश और मानार्थ पास के दुरुपयोग, कपटपूर्ण उपयोग ज्ञात होने पर दण्ड के प्रावधान है। पास या रियायती टिकट आदेश अहस्तान्तरणीय है तथा इन्हे उसी व्यक्ति द्वारा उपयोग में लेना चाहिए जिसके पक्ष में जारी किये गये है। पास धारक की अभिरक्षा में होने के दौरान पास, रियायती टिकट आदेश खोये नहीं, इसके लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि पास, रियायती टिकट आदेश खो जाये तो पासधारक को तत्काल इसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए तथा इसकी एक प्रति पास या रियायती टिकट आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को भी भेजना चाहिए। पास या रियायती टिकट आदेश को दुरूपयोग करते हुए पकड़े जाने पर रेल कर्मचारी से जुर्माना लिया जायेगा। इसकी गम्भीरता को देखते हुए सेवा बर्खास्तगी या निष्कासन या एक पद नीचे किये जाने के रूप में दिया जा सकता है। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के द्वारा मानार्थ पास का दुरूपयोग करते हुए पाये जाने पर उसे आगामी पास लेने से वंचित किया जा सकता हैं। रेल कर्मचारियों को देय सुविधा और ड्यूटी पास दोनों पर यात्रा शुरू करने की तिथि नहीं भरने के मामले में धारक कर्मचारी पर द्वितीय श्रेणी के लिए रू 10/ तथा प्रथम श्रेणी के लिए रू 25/ का जुर्माना किया जा सकता है। पास को इसकी समाप्ति तिथि या इसके उपयोग जो भी पहले हो उसे 01 माह के भीतर वापस लौटा देना चाहिए। ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, जब पास पर यात्रा शुरू करने की तिथि भरने पर चल टिकट परीक्षक (T.T.E.) द्वारा जुर्माना लगाया गया हो तो प्रथम अवसर पर चेतावनी दी जायेगी; द्वितीय अवसर पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया जायेगा, इसे गम्भीरता से लिया जायेगा तथा दोषी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

टिकटों के कूटरचना के लिए शास्ति

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में टिकटों की कूटरचना से सम्बन्धित अपराध के दण्ड के विषय में उपबन्ध किया गया है।

I. धारा 465 के अंतर्गत रेल टिकटों की कूटरचना करने वाला कोई व्यक्ति दो वर्ष तक की अवधि के किसी भाँति के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

II. धारा 468 छल के प्रयोजन से उपयोग में लाये जाने हेतु काउन्टर टिकट या ई–टिकट की कूटरचना की जाती है, तो वह सात वर्ष तक की अवधि के किसी भाँति के कारावास से या जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

III. धारा 471 जो कोई व्यक्ति कूटरचित काउंटर टिकट या ई–टिकट को असली के रूप में उपयोग में लाता है, तो वह दो वर्ष तक के किसी भी भाँति के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

निष्कर्ष

संक्षेप में यह कह सकतें हैं कि यात्री आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरक्षित एवं अनारक्षित ई–टिकटों की बुकिंग व्यवस्था आम जनमानस के बीच लोकप्रिय होती जा रही है। रेलवे द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध करायी गयी लगभग 16 लाख आरक्षित सीटों में से लगभग 72 प्रतिशत आरक्षित सीटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। यात्री आरक्षण प्रणाली की ''वैकल्पिक ट्रेन आवास योजना'' (विकल्प), तत्काल यात्री आरक्षण प्रणाली इत्यादि सुविधाओं ने दूसरे के नाम पर आरक्षित टिकट की खरीद–फरोख्त पर अंकुश लगाया। जनमानस के मध्य इसके प्रचार–प्रसार ने भी बहुत सीमा तक टिकटों की अवैध खरीद–फरोख्त पर रोक लगायी है। अनारक्षित ई–टिकट व्यवस्था ने भी आम जनमानस को बिना टिकट यात्रा करने पर रोक लगाई है, विशेषकर उन लोगों में, जो ट्रेन के आने पर एवं काउंटर पर अत्यधिक भीड़ के कारण टिकट लेने में स्वयं को असमर्थ पाते थे और मजबूरन बिना टिकट यात्रा करते थे, चाह कर भी टिकट खरीद नहीं सकते थे। आर0पी0एफ0 द्वारा सामान्य कोटा की आरक्षित सीटें विन्डों खुलने के कुछ सेकण्ड के भीतर बुक करने वाले, अवैध सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ऑनलाइन पंक्ति में अपनी बारी से आगे पहुँचकर कन्फर्म टिकटों को बल्क में बुक करने वाले अनैतिक संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए 'प्रबल' नामक पीआरएस डाटा की पहुँच के आधार पर एवं तकनीकी निगरानी का उपयोग करते हुये उत्तर प्रदेश से दो अवैध सॉफ्टवेयर ''आई–बॉल'' और ''रेड बुल'' के डेवलपर्स को गिरफ्तार किया गया। आर0पी0एफ0 द्वारा प्रभावी कार्यवाही के परिणमस्वरूप कई अवैध सॉफ्टवेयर जैसेः एएनएमएस, मैक, एन–जीईटी, साइकिल, स्टार वी2, जैगुआर आदि ने काम करना बंद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आसानी से टिकट उपलब्ध हो जाने के कारण बहुत सीमा तक लोग दलालों एवं अनाधिकृत टिकट काउंटर से टिकट लेने से स्वयं को रोक रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विशेषाधिकार पास, रियायती टिकट आदेश और मानार्थ पास जारी किये जाने के परिणामों स्वरूप इसके दुरुपयोग को एक सीमा तक रोका गया है और बार–बार इसके प्रयोग किये जाने पर अंकुश लगाया गया है।

संक्षेपाक्षार

1. Under Pooled Quota Waitlist (PQWL) इण्टरमीडिएट स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की सामान्य प्रतीक्षा सूची से अलग प्रतीक्षा सूची होती है।
2. Road-Side Waitlist (RSWL) एक स्टेशन विशिष्ट की प्रतीक्षा सूची को रोड–साइड प्रतीक्षा सूची कहा जाता है।
3. Remote Location Waitlist (RLWL) छोटे स्टेशनों में सीटों का कोटा होता है और इन मध्यवर्ती स्टेशनों पर प्रतीक्षारत सीटों को दूरस्थ स्थान प्रतीक्षा सूची का दर्जा दिया जाता है।
4. RAC (Reservation Against Cancellation)
5. पी.टी.ओ. (रियायती टिकट आदेश)
6. Alternate Train Accommodation Scheme (ATAS) called "VIKALP" to be Introduced from 01.11.2015.
7. धारा 54 प्रत्येक यात्री 'पास और टिकटों का प्रदर्शन और अभ्यर्पण' हेतु प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा मांग किए जाने पर अपना पास या टिकट ऐसे रेल सेवक को यात्रा के दौरान अथवा यात्रा की समाप्ति पर परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा और ऐसा टिकट यात्रा की समाप्ति पर; या

यदि ऐसा टिकट किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जारी किया गया है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर अभ्यर्पित करेगा।

सन्दर्भ सूची

1. रेलवे कर्मचारी (पास) नियम, 1986 नियम–04।
2. रेलवे कर्मचारी (पास) नियम, 1986 अनुसूची – I, II, III, IV, V, VI & VII
3. रेलवे कर्मचारी (पास) नियम, 1986 अनुसूची–II dk 3(ii) & (iii)
4. रेलवे कर्मचारी (पास) नियम, 1986 अनुसूची–II का 3(iii)
5. रेलवे कर्मचारी (पास) नियम, 1986 अनुसूची–II का 2(क)
6. रेलवे कर्मचारी (पास) नियम, 1986 [RBE-10/2009]
7. RBE 82/08, 41/12 & Bd's letter dt, 31.03.15 (NWR PS 11/15)
8. रेलवे कर्मचारी (पास) नियम, 1986 नियम 13, परिशिष्ट (ख)
9. रेलवे कर्मचारी (पास) नियम, 1986 परिशिष्ट 'ख' (i), (ii), (iii) & (iv)
10. भारतीय रेल पत्रिका, 2020।

****